जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर   दिनांक 24.05.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 456/2025 धारा 3(5)/109(1)/115(2)/191(2)/351(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.05.2025 को वादी पंकज सैनी पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम शाहबाजपुर खाना थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.शगुन पुत्र प्रमोद 2.लक्की पुत्र रोहताश 3.दुष्यंत पुत्र राजेन्द्र निवासीगण ग्राम जौधूवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व उनके तीन-चार अन्य साथियों द्वारा वादी व उसके परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा वादी के भाई के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया,जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया।

इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 456/25 धारा 3(5)/109(1)/115(2)/191(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त दुष्यंत पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम जोधूवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दुष्यंत पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम जोधूवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.का0 1491 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.का0 2617 मोहित कूण्डु थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली देहात दिनांक 24.05.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त चन्द्रप्रकाश उर्फ विकुल पुत्र स्व0 रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम जगन्नाथपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 108/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

चन्द्रप्रकाश उर्फ विकुल पुत्र स्व0 रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम जगन्नाथपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री सौरभ कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.हे0का0 627 राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

3.का0 21 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल **दिनांक 24.05.2025**

थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 71/25 धारा 333/74/75/76/115(2)/351(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.05.2025 को वादिया ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्त मनेन्द्र उर्फ अंकित पुत्र कैलाश निवासी ग्राम महरायपुर शेख उर्फ दिनौडी थाना नांगल जनपद बिजनौर ने वादिया के घर मे घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत कर गलत कार्य करने का प्रयास किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 71/25 धारा 333/74/75/76/115(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त मनेन्द्र उर्फ अंकित पुत्र कैलाश निवासी ग्राम महरायपुर शेख उर्फ दिनौडी थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मनेन्द्र उर्फ अंकित पुत्र कैलाश निवासी ग्राम महरायपुर शेख उर्फ दिनौडी थाना नांगल जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 विनोद कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

2.का0 1211 संजय सैनी थाना नांगल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना रेहड **दिनांक – 24.05.2025**

थाना रेहड पुलिस ने 02 अभियुक्तों को कुल 476 ग्राम अवैध चरस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थो की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों अमित सिंह पुत्र नाथ सिंह निवासी घोसीकुंआ थाना खटीमा जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) व अमन सिंह बिष्ट पुत्र चन्दन सिंह बिष्ट निवासी छिनकी फार्म खटीमा थाना खटीमा जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) कुल 476 ग्राम अवैध चरस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 42/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1.अमित सिंह पुत्र नाथ सिंह निवासी घोसीकुंआ थाना खटीमा जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

2.अमन सिंह बिष्ट पुत्र चन्दन सिंह बिष्ट निवासी छिनकी फार्म खटीमा थाना खटीमा जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

बरामदगी का विवरण –

1.दोनों अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 476 ग्राम अवैध चरस

2.एक अवैध इलैक्ट्रोनिक कांटा

3.एक मोटरसाइकिल (UK06BH3952)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1-उ0नि0 श्री भीमसिंह थाना रेहड़ जनपद बिजनौर

2-हे0का0 411 पवन कुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर

3-का0 333 ललित कुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर

4-का0 2470 शिवकुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 24.05.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने हत्या की घटना का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण (पिता-पुत्र) को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल कुदाल (रक्तरंजित) व डंडा सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.05.2025 को वादी अमरजीत सिंह पुत्र खचेड़ू सिंह निवासी ग्राम संसारपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 16.05.2025 को समय लगभग सायं 08:00 बजे वादी का भाई कमलजीत सिंह गाँव से डेयरी पर दूध देकर घर लौट रहे थे। घर से लगभग 30 मीटर की दूरी पर वे खून से लथपथ, घायल अवस्था में सड़क पर मिले। ग्रामीण मौके पर एकत्र हुए, जिन्होंने प्रारंभ में गुलदार के हमले की आशंका जतायी। कमलजीत उपरोक्त को उपचार हेतु ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी। वादी द्वारा 1.अरुण पुत्र झुण्डे सिंह एवं 2.झुण्डे पुत्र डूंगर सिंह निवासीगण ग्राम संसारपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर पर योजनाबद्ध तरीके से वादी के भाई कमलजीत सिहं के ऊपर धारधार हथियार व लाठी डण्डो से वार कर हत्या किए जाने के आरोप लगाए गए। स्थानीय पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर / शरीर पर Sharp / Hard & Blunt Object से चोट लगना आया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 297/25 धारा 3(5)/103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण –

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अरुण व झुण्डे सिंह को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक एवं आरोपियों का खेत का चकमार्ग काटने को लेकर विवाद था। पूर्व में इस बात को लेकर दोनो पक्षों में कहासुनी हुई थी।

दिनांक 16.05.2025 को कमलजीत के परिजन किसी काम से बाहर गये हुए थे। प्रतिदिन की भांति जब कमलजीत डेयरी पर दूध देकर वापस आ रहा था तो अभियुक्त अरुण व झुण्डे ने कमलजीत को रास्ते में रोककर सिर व शरीर पर कुदाल एवं डन्डे से वार कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त अरुण ने ही मृतक कमलजीत सिंह की पत्नी गीता व पुत्र हनी को कमलजीत सिंह के रास्ते में घायल अवस्था मे पडे होने की सूचना दी थी। अभियुक्त अरुण हॉस्पिटल ले जाते समय भी घायल व उसके परिजनों के साथ में मौजूद था। इसी दौरान गांव में चर्चा हो गयी कि कमलजीत पर गुलदार ने हमला कर मार दिया है।

कार्यवाही –

थाना चादंपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्तगण 1.अरुण पुत्र झुण्डे सिंह एवं 2.झुण्डे पुत्र डूंगर सिंह निवासीगण ग्राम संसारपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल कुदाल (रक्तरंजित) व डण्डा बरामद किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.अरुण पुत्र झुण्डे सिंह निवासी ग्राम संसारपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.झुण्डे पुत्र डूंगर सिंह निवासी ग्राम संसारपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल कुदाल (रक्तरंजित) व डण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.थाना प्रभारी श्री संजय कुमार तोमर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 हरस्वरूप शर्मा थाना चांदपुर जनद बिजनौर
3.उ0नि0 संदीप पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.कां0 2291 विनय कुमार चांदपुर जनपद बिजनौर
5.कां0 2487 शैलेन्द्र कान्त चांदपुर जनपद बिजनौर
6.कां0 386 सोहित कुमार चांदपुर जनपद बिजनौर